भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
******

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2025

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

वित्त वर्ष 2024-25 में सीबीडीटी ने 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए गए है। इन समझौतों में एकतरफा एपीए (यूएपीए), द्विपक्षीय एपीए (बीएपीए) और बहुपक्षीय एपीए (एमएपीए) शामिल हैं। इसके साथ, कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एपीए की कुल संख्या 815 हो गई है, जिसमें 615 यूएपीए, 199 बीएपीए और 1 एमएपीए शामिल हैं।

कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से एक ही वित्तीय वर्ष में हस्ताक्षरित एपीए की यह सबसे बड़ी संख्या है। हस्ताक्षरित 174 एपीए में से 65 बीएपीए थे, जो अब तक किसी भी वर्ष में अंतिम रूप दिए गए बीएपीए की सबसे बड़ी संख्या है ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका सहित भारत के संधि भागीदारों के साथ आपसी समझौतों का परिणाम थे।

सीबीडीटी ने एपीए को अंतिम रूप देने में निरंतर गति बनाए रखी है, वित्त वर्ष 2023-24 में 125 और वित्त वर्ष 2022-23 में 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विशेष रूप से, इस वर्ष भारत के प्रथम एमएपीए पर भी हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त, 27 मार्च, 2025 को एक ही दिन में रिकॉर्ड 34 एपीए पर हस्ताक्षर किए गए।

एपीए योजना का उद्देश्य मूल्य निर्धारण विधियों को निर्दिष्ट करके और पांच साल तक के लिए अग्रिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का बाजार आधारित मूल्य निर्धारित करके हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करना है। बीएपीए संभावित या वास्तविक दोहरे कराधान के खिलाफ सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं।

एपीए कार्यक्रम ने विशेष रूप से व्यापक सीमा पार लेनदेन में लगे बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीबीडीटी करदाताओं की सहयोगात्मक भावना को मान्यता देता है और एपीए कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका को महत्व देता है।

(वी. रजिथा)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति) और
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी